



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 271/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 01 दिसम्बर 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 एवं दिव्यांगजन के पदों हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में **असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र (Sociology)** विषय के निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे को संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका के कॉलम-03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्रमांक	विषय	अनुक्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	508777	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद प्रतियोगिता/सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु अभिलेखों में इससे संबंधित कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तदक्रम प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
2	508780	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद प्रतियोगिता/सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है परन्तु अभिलेखों में इससे संबंधित कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तदक्रम प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
3	508840	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत एन0सी0सी0 का दावा किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य है। परन्तु प्रमाणपत्र में अंकित नाम के क्रम में नाम में भिन्नता के संबंध में घोषणापत्र वांछित है। 2. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है जिसके संबंध में दिनांक 02.03.2020 से दिनांक 02.07.2020 तक कार्यरत होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार अद्यतन कार्यरत नहीं हैं तदक्रम में अधिमान मान्य नहीं हैं।
4	508866	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके लिए दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये हैं। इनमें दिनांक 26.10.2018 से दिनांक 20.03.2020 तक कार्यरत रहने का उल्लेख है। दूसरे प्रमाणपत्र में 01.01.2022 से अद्यतन का उल्लेख है। अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक अद्यतन कार्यरत नहीं है। विज्ञापन के अनुसार अधिमान कार्यरत होने पर ही अनुमन्य है। अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार अद्यतन कार्यरत नहीं हैं तदक्रम में अधिमान मान्य नहीं हैं।

5	508918	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार का दावा किया गया है तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6	508974	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार का दावा किया गया है तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
7	509038	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके लिए प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र में दिनांक 28.10.2018 से 03.07.2020 की तिथि का उल्लेख किया गया है। उक्त अधिमान नियमानुसार कार्यरत विजिटिंग/संविदा प्रवक्ताओं को ही अनुमान्य है। अभ्यर्थी कार्यरत नहीं है। तदक्रम में अधिमान अनुमान्य नहीं हैं।
8	509082	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार एवं विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है परन्तु उक्त दावों के संबंध में कोई भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
9	509092	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार का दावा किया गया है परन्तु इस संबंध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
10	509393	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार का दावा किया गया है परन्तु इससे संबंधित कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
11	509549	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता के दावे के संबंध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का दावा मान्य नहीं है।
12	508937	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार का दावा किया गया है तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
13	509268	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत एन0सी0सी0"बी" का दावा किया गया है जिसके लिए एन0सी0सी0"बी" का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

14	509343	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, परन्तु उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत होने का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में दावा मान्य नहीं है।
15	509486	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार का दावा किया गया है परन्तु इससे संबंधित कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 (सोमवार) सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।